विचार बिन्दु

चापलूसी का ज़हरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझ कर पी न जाएँ। –प्रेमचंद

एस आई आर पर घमासान

किसी भी लोकतंत्र की पहचान यही है कि वहां पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नियमित रूप से हों एवं बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाकर शासन प्रदान करे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के वैसे तो बहुत सारे आयाम हैं किंतु मूल आधार सही मतदाता सूची का होना है । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक उस व्यक्ति का नाम इसमें दर्ज होना चाहिए जो मतदान करने का अधिकारी है एवं ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए जो मतदान का आधिकारी नहीं है ।

चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को दी गई है। मतदाता सूचियां को अद्यतन (अपडेट)करने हेतु समय-समय पर निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना होता है जिनकी मृत्यु हो जाती हैअथवा जो स्थाई रूप से कहीं और निवास करने लग गए हों।

इन स्थापित प्रक्रियाओं को छोड़कर निर्वाचन आयोग ने अचानक जून 2025 में बिहार के चुनाव से लगभग तीन माह पूर्व मतदाता सूचियों के सघन गहन परीक्षण अर्थात एस आई आर की प्रक्रिया के बारे में आदेश जारी कर दिए । यह उल्लेखनीय है कि गत 23 वर्षों में यह प्रक्रिया कहीं नहीं की गई थी। इसका कारण मतदाता सूचियों का डिजिटाइजेशन होना था। इसका उद्देश्य घुसपैठियों के नामों को मतदाता सूचियों से हटाना था । विपक्षी दलों द्वारा इसका भरपूर विरोध करने एवं 'वोट चोरी' यात्रा निकालने के बावजूद निर्वाचन आयोग ने इसे नहीं रोका और एस आई आर के बाद की मतदाता सूची के आधार पर बिहार के चुनाव संपादित करवा लिए । कुछ दल एवं सामाजिक कार्यकर्ता सर्वोच्च न्यायालय में गए किंतु उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली । न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई। नवंबर में इस मतदाता सूची के आधार पर हुए चुनावों में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश कुमार पुन: मुख्यमंत्री बन गए । बिहार में शांतिपूर्वक हुए चुनाव को निर्वाचन आयोग इस बात की पुष्टि मान रहा है कि उनके द्वारा की गई प्रक्रिया सही थी और उसने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एस आई आर प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। इसका भारी विरोध हुआ, विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस द्वारा। इस प्रक्रिया के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में भी कई बार सुनवाई हुई लेकिन अभी तक इस बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। निर्वाचन आयोग ने तो आधार को 11 दस्तावेजों के साथ 12 मवें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की न्यायालय की सलाह को भी नहीं माना और अभी भी उसे मान्य दस्तावेज के रूप में सम्मिलित नहीं किया है।

इस बार की एस आई आर में अन्य राज्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। यहां एस आई आर के पहले की मतदाता सूची में 15.44 करोड़ मतदाता थे। ड्राफ्ट सूची जारी करने के लिए कई बार समय बढ़ाने के बाद जब अंतिम ड्राफ्ट सूची जारी की गई तो इसमें यह संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई।

यह उल्लेखनीय है कि जिन व्यक्तियों के नाम पूर्व की मतदाता सूची में थे उन्हें गणना प्रपत्र बांटे गए और उनसे भरवा कर पुन: लिए गए। प्रत्येक मतदाता को उनका या रिश्तेदार का नाम 2003की मतदाता सूची में सम्मिलित होने का प्रमाण भी देना था। यह प्रपत्र कुल 12.55 करोड़ लोगों से प्राप्त हुए, अर्थात 2.89 करोड़ के नाम कट गए। इन 12.55 करोड़ में भी 1.04 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने फार्म तो भरकर निर्वाचन आयोग में जमा कर दिए, किंतु उनकी मैपिंग अभी तक नहीं हुई है। अर्थात उनका स्वयं का या रिश्तेदार का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिल पाया है । यदि इनकी मैपिंग ना हो पाए तो मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या 12.55 करोड़ से घटकर 11.51 करोड़ रह जाएगी।

मैंने इसी स्तंभ में चार बार एस आई आर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से लिखा था, किंतु जिस प्रकार के चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं और जो समाचार वहां से मिले हैं उसके आधार पर पाठकों को आंकड़ों को विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करना उचित लगा ताकि वे स्वयं यह निर्णय कर सकें कि एस आई आर का उद्देश्य क्या था और उससे क्या हासिल हो पाया है? जहां तक निर्वाचन आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न है वे तो, सभी प्रकार की विसंगतिया सामने आने के बाद भी धृतराष्ट्र की तरह आँखें मूंद कर बैठे हैं ।

यह बात कई बार कही जा चुकी है कि किसी का नाम एक से अधिक जगह दर्ज होने, उसके मृत होने या अन्य कहीं चले जाने के बाद उसका नाम हटाने का कार्य तो सामान्य पुनरीक्षण प्रक्रिया में हमेशा संभव था। उसके लिए एस आई आर पर करोड़ों रुपए खर्च करने और सबको परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी। 2003 की मतदाता सूची में नाम ढूंढने का काम लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण बना है और बी एल ओ तक भी ऐसा नहीं कर पाए हैं । इसी लिए उत्तर प्रदेश में 1.04 करोड़ मतदाता अभी भी unmapped हैं।

एस आई आर की प्रक्रिया उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है जो इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पहले भी लगभग उन्हीं कर्मचारियों ने निर्वाचन आयोग के देखरेख में काम किया । जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में मतदाता सूची में नाम कटने की बात सामने आ रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि पहले कर्मचारियों ने अपना काम किया ही नहीं। यदि इसे सही मान भी लें तो इस बात की क्या गारंटी है अभी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वे बिल्कुल सही कर रहे होंगे, क्योंकि कर्मचारी तो वही हैं । निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्ववर्ती निर्वाचन आयोगों के काम पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी विश्वसनीयता को कम ही किया है।

पाठकों को शायद यह विदित हो कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा और लोकसभा के कराए जाते हैं । उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, जिसे अंतिम रूप हाल ही में दिया गया है, उसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ है ,जबकि एस आई आर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में पूरे राज्य में 12.55 करोड़ लोगों का नाम हैं । राज्य निर्वाचन आयोग के ठ्रामीण मतदाता सूची में यदि शहरी मतदाताओं की संख्या जोड़ दी जाए तो राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 17 करोड़ होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही राज्य में विधानसभा/लोकसभा के लिए 12.55 करोड़ मतदाताओं की तुलना में पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव में 17 करोड लोग मतदान करेंगे । यह 4.50 करोड़ का अंतर समझ से परे है। जहां तक विदेशी अवैध लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकालने का प्रश्न है, बिहार में पूरी प्रक्रिया के बावजूद अभी तक निर्वाचन आयोग ने यह सार्वजनिक नहीं किया है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें विदेशी होने के कारण मतदाता सूची से हटाया गया।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि चार करोड लोगों के नाम कटे हैं जिनमें से अधिकांश भाजपा के हैं। उन्होंने आव्हान किया कि प्रत्येक बूथ पर 150-200 लोगों के नाम जुड़वाने हैं। योगी आदित्यनाथ के इस कथन के बाद समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को सही बताया, शायद इसलिए कि बीजेपी के मतदाताओं के नाम कटे हैं ।

प्रश्न यह नहीं है कि एस आई आर के कारण किस दल को लाभ होगा अथवा हानि होगी, बल्कि यह है कि जो कार्य किया जा रहा है वह कितना न्यायोचित एवं मतदाताओं के लिए सुविधाजनक है? किसी भी ग्रामीण गरीब मतदाता से अपेक्षा करना कि वह अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाएगा, सही नहीं है।

एस आई आर के निर्देशों के अनुसार जिन व्यक्तियों के नाम इन 12.55 करोड़ की ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित नहीं है उन्हें नए वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। यह कितनी विचित्र बात है कि जो व्यक्ति लगातार कई चुनाव में वोट दे रहे थे उन्हें पुन: नए वोटर की तरह दस्तावेज चुनाव आयोग में जमा कराने होंगे। 2003 में हुए एस आई आर के बाद मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया था। उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि केवल एक बटन दबाकर एक से अधिक स्थान पर दर्ज मतदाताओं के नामों को आसानी से काटा जा सकता था ।

मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए ।उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जिस प्रकार से एस आई आर किया जा रहा है वह न केवल अस्पष्ट अपितु अपारदर्शी भी है । इसके कारण कई प्रकार की आशंकाओं को बल मिलना स्वाभाविक है। चुनाव न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष हों अपितु जनता में यह विश्वास होना भी आवश्यक है। यही सबसे बड़ी कमी इस एस आई आर की प्रक्रिया में दिखाई दे रही है।

यदि 1.04 करोड लोगों का मैपिंग नहीं हो पता है तो मतदाता सूची में कुल संख्या लगभग 11.51 करोड़ रह जाएगी जो राज्य निर्वाचन सूची में दर्ज मतदाताओं के मुकाबले में 5.5 करोड़ कम होगी । इस प्रकार लगभग 30 प्रतिशत मतदाताओं की संख्या में कमी आना आश्चर्य जनक है। सामान्यत: आजकल चुनाव में हार जीत का अंतर एक या दो प्रतिशत होता है। यदि मतदाताओं की संख्या में 20-30 प्रतिशत मतदाताओं का अंतर आ जाए तो इसका कितना प्रभाव चुनावी परिणाम पड़ सकता है, उसका अनुमान ही लगाया जा सकता है।

जनसंख्या में 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों का प्रतिशत सामान्यतया 70 प्रतिशत होता है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की 2025 की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ में से लगभग 16.80 करोड़ मतदाता होने चाहिएं। निर्वाचन आयोग कोई भी प्रक्रिया अपना ले यह संख्या इसके लगभग होनी चाहिए। यदि इससे चार या पांच करोड़ कम होगी तो विवाद पैदा होगा ही।

पाठकों को ज्ञात है कि एस आई आर की प्रक्रिया उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है जो इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पहले भी लगभग उन्हीं कर्मचारियों ने निर्वाचन आयोग के देखरेख में काम किया । जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में मतदाता सूची में नाम कटने की बात सामने आ रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि पहले कर्मचारियों ने अपना काम किया ही नहीं। यदि इसे सही मान भी लें तो इस बात की क्या गारंटी है अभी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वे बिल्कुल सही कर रहे होंगे, क्योंकि कर्मचारी तो वही हैं । निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्ववर्ती निर्वाचन आयोगों के काम पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी विश्वसनीयता को कम ही किया है।

इससे पहले कि एस आई आर का मुद्दा विपक्षी दलों और सत्ताधारी दलों के बीच बहुत बड़े घमासान का रूप ले ले, उचित होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का काम करे,ताकि योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो जाएं।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान बना एआई नवाचार का उभरता केंद्र

राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भारत के समावेशी और सतत एआई विकास की मजबूत नींव

धर्मेन्द्र कुमार मीना

राजस्थान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में राष्ट्रीय विजन को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान एआई नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में पहचान बना रहा है।

राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि तकनीक-आधारित विकास, समावेशी प्रगति और जनकल्याण के लिए एआई का उपयोग सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। यह सम्मेलन भारत एआई इम्पैक्ट समिट- 2026 की तैयारी के क्रम में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पड़ाव सिद्ध हुआ।

सम्मेलन में संस्थागत सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए गूगल, आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा स्किल डेवलपमेंट नेटवर्क (वाधवानी फाउंडेशन) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस बहुपक्षीय साझेदारी का उद्देश्य एआई अनुसंधान, बड़े पैमाने पर कौशल विकास, नैतिक एवं कानूनी ढांचे तथा नवाचार-आधारित इकोसिस्टम को मजबूत करना है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की डिजिटल क्षमताओं में वृद्धि होगी।

उच्चस्तरीय रणनीतिक सत्र में श्री अभिषेक सिंह, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमइआईटीवाय), सीईओ-इंडियाएआई मिशन एवं महानिदेशक-एनआईसी, ने श्री विशाल धूपर, मैनेजिंग डायरेक्टर-साउथ एशिया, एनवीडिया के साथ संवाद किया। सत्र का संचालन श्री समीर जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्राइमस पार्टनर्स ने किया। चर्चा में एआई अवसंरचना के लोकतंत्रीकरण, सार्वजनिकद-निजी भागीदारी को सुदृढ़ करने, नवाचार को व्यापक स्तर पर सक्षम बनाने तथा सुरक्षित और भरोसेमंद एआई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

इंडियाएआई मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कविता भाटिया, वैज्ञानिक 'जी', समूह समन्वयक, एमइआईटीवाय एवं सीओओ-इंडिया एआई मिशन ने भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की दृष्टि और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि नीति, अवसंरचना और मानव संसाधन विकास के समन्वित प्रयासों से एआई को जनकल्याण से जोड़ा जा रहा है।

वैश्विक एआई, राष्ट्रीय एआई और क्षेत्रीय एआई विषय पर अविनाश शर्मा, प्रोफेसर, आईआईटी जोधपुर ने क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्थानीय संदर्भों को समझने वाले समाधान ही वैश्विक स्तर पर प्रभावी सिद्ध होते हैं। सम्मेलन के दौरान शासन, अवसंरचना, नवाचार, नैतिकता और रोजगार जैसे विषयों पर समानांतर सत्र आयोजित किए गए, जिनमें एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोगों और जनसेवा में इसके उपयोग पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य को एआई आधारित नवाचार, कौशल विकास और सतत विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस ने यह सिद्ध किया कि राज्य तकनीक को जनहित से जोड़ते हुए भारत के एआई भविष्य में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

–धर्मेन्द्र कुमार मीना,
सहायक निदेशक, करौली

बांग्लादेश – एक ओर कटु अनुभव

प्रो. कैलाश सोडाणी

1947 में भारत के साथ-साथ धर्म के आधार पर पाकिस्तान का भी एक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। पाकिस्तान को मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर दो भूखंड प्राप्त हुए, जिन्हें पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। राजनैतिक एवं सैन्य नैतृत्व हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के पास रहा, परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान हमेशा शोषित एवं पीड़ित ही रहा। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ भाषाई, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर बहुत अत्याचार किए। उर्दू को राष्ट्र भाषा बनाने और बांग्ला को उपेक्षित करने से बंगालियों में भारी असंतोष रहा।

बजट का अधिकतम हिस्सा केवल पश्चिमी पाकिस्तान के विकास पर खर्च किया एवं पूर्वी पाक को नजरअंदाज किया गया। जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद पूर्वी पाक को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ मुजीबुर्रहमान के नैतृत्व में जन आंदोलन 'मुक्ति संग्राम' प्रारम्भ हुआ। मार्च 1971 में शेख मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी सेना ने 'ऑपरेशन सर्चलाइट' शुरू किया, जिसके दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा व्यापक अत्याचार, नरसंहार और बलात्कार हुए।

1970 के आम चुनावों में अवामी लीग की जीत के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं एवं सेना ने सत्ता सौंपने से इंकार कर दिया। यही से बांग्लादेश के जन्म की कहानी शुरू हुई। इन अत्याचारों के कारण लाखों लोगों ने भारत में शरण ली, जिससे एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हुआ और यही से भारत का हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ। यह हस्तक्षेप अन्तत: भारत-पाक युद्ध (बांग्लादेश मुक्ति संग्राम) में परिवर्तित हुआ। 13 दिनों का युद्ध 16 दिसंबर, 1971 को समाप्त हुआ।

जनरल मानेकशा के मजबूत एवं कुशल नैतृत्व में भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने पाकिस्तानी सेना के 93000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 1971 के भारत-पाक युद्ध की एक मात्र वजह पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। इस युद्ध में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। अन्तर्राष्टीय खतरों से खेलते हुए भारत ने पाक को धराशायी किया एवं पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया। पूरी दुनिया ने बांग्लादेश के रूप में एक नये राष्ट्र के निर्माण में भारत के प्रत्यक्ष योगदान को स्वीकार किया। विश्व में बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में भारत ने ही सबसे पहले मान्यता प्रदान की। तब अन्य देशों ने बांग्लादेश को स्वीकार किया।

भारत सरकार ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के शरणार्थियों की सहायता के लिए भारतीय जनता से दान एवं विशेष डाक टिकटों से धन एकत्रित किया। बांग्लादेश निर्माण में आम भारतीय नागरिकों का भी प्रत्यक्ष योगदान रहा है। भारत ने बांग्लादेश को हमेशा अपना छोटा भाई समझकर हर संभव मदद की। परन्तु दुर्भाग्य है कि यह भाई दुर्योधन-दुशासन ही सिद्ध होता जा रहा है। बांग्लादेश को गेंहूँ एवं चावल जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भारत करता है। बांग्लादेश मुख्यरूप से दुनिया को रेडीमेड कपड़ो का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करता है जिसका आधार भारतीय कपास एवं धागे ही हैं।

वर्ष	भारत में मुसलमान	बांग्लादेश में हिन्दू
1941	9.8 प्रति.	28.4 प्रति.
1971	11.2 प्रति.	13.6 प्रति.
2011	13.4 प्रति.	8.5 प्रति.

अघोषित हिन्दू राष्ट्र भारत बांग्लादेश को उसके जन्म से लेकर आज तक पल्लवित कर रहा है फिर भी वहाँ हिंदुओं की लगातार घटती आबादी उनके दु:ख-दर्द की ही अभिव्यक्ति है। भारत में मुसलमानों की आबादी का लगातार बढ़ना यह सिद्ध करता है कि वे यहाँ पूर्ण शान्ति एवं प्रतिष्ठा से जीवन जी रहे हैं।

उक्त आकड़े एवं तथ्य बहुत कुछ कह रहे हैं। इन आंकड़ो की पीछे छिपी हुई सच्चाई को समझना होगा। देश और दुनिया के धार्मिक संतुलन में होने वाला यह परिवर्तन हमें किस दिशा में ले जाएगा इस पर चिन्तन होना चाहिये। धर्म निरपेक्षता तथा गंगा-जमुना तहजीब के नारों की आवाज में हमें हमारे इतिहास और आज की वास्तविकता को नजरंदाज नहीं करना चाहिये।

भारत हर बार एक ही गलती को दोहराता आ रहा है और उसके दुष्परिणाम भी भुगत रहा है, फिर भी सुधर नहीं रहा है। लोगों को पहचानने में हर बार की इस भूल से ही भारत टूटता गया, बिखरता गया और अपमानित होता गया। दुश्मन को बार-बार माफ करने की तथा कथित बड़प्पन वाली मानसिकता को भी छोड़ना होगा। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, यह वर्ग विशेष की अहसान फरामोश सोच एवं कार्यप्रणाली का द्योतक है। सुधरना तो हमें ही पड़ेगा।ऐसी अहसान फरामोश कोम पर किसी भी स्थिति में सहानुभूति एवं सहिष्णुता की आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान (बांग्लादेशवासी) रोजी-रोटी के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था एवं प्रजातंत्र पर स्थायी भार बन चुके हैं। हमे उन्हें कठोरता से यह समझाना होगा कि भारत एक राष्ट्र है, धर्मशाला नहीं। सौभाग्य से आज देश का महावत अर्थात राजनैतिक नैतृत्व ऐसे कृतघ्न लोगों को माफ करने की मानसिकता नहीं रखता है। उम्मीद है इतिहास को दोहराएंगे नहीं, उसे बदलने के साथ आगे बढ़ेगा।

दोस्तों, यह नया भारत है जो समस्याओं को टालता नहीं, टकराना जानता है और उन्हें मिटाना जानता है। इसी सोच और विश्वास के साथ बांग्लादेश को यथाशीघ्र कठोरता से सबक सिखाना होगा। हिंदुओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की सजा मिलने पर ही इतिहास पलटने की गूँज सुनाई देगी।

–प्रो. कैलाश सोडाणी,
पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

छबड़ा में संचालित अन्नपूर्णा योजना की रसोई में अनियमितताओं का आरोप

बताया जा रहा है कि रसोई पर काम करने वाले कर्मचारी मनमानी करते हैं

छबड़ा, (निसं)। राजस्थान सरकार की 'कोई भूखा ना सोए' योजना के तहत बस स्टैंड पर संचालित अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शहर में संचालित उक्त रसोई में न केवल लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक-एक घंटे इंतजार कराने के बाद भी खाना नहीं दिया जा रहा है।

- **शहर में संचालित अन्नपूर्णा योजना रसोई में न केवल लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक-एक घंटे इंतजार कराने के बाद भी खाना नहीं दिया जा रहा**
- **आरोप है कि इस रसोई पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और खाना खाने आए लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं**

पिंकू, ओमप्रकाश, सत्यनारायण, राधेश्याम, फूलचंद, रामनिवास, नेमीचंद आदि ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस रसोई पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और खाना खाने आए लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। उन्हें घंटों इंतजार कराने के बाद भी भूखे पेट वापस लौटना पड़ रहा है। कर्मचारी लाभार्थियों के साथ दादागिरी कर रहे हैं और उन्हें भोजन देने से इनकार कर रहे हैं। समीप में संचालित हो रहे रेन बसेरे में ठहरने वाले लोग जब रसोई पर खाना खाने पहुंचते हैं तो उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाता है।

रसोइयों में पूरा भोजन नहीं दिया जा रहा :- सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले। इसी वजह से दो साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाने की मात्रा बढ़ाई गई थी। पूर्ववर्ती सरकार के समय 450 ग्राम भोजन मिलता था, जिसे बढ़ाकर भजनलाल सरकार ने 600 ग्राम कर दिया। अन्नपूर्णा रसोइयों में 8 रुपए में एक थाली भोजन दिया जाता है। प्रत्येक थाली पर सरकार की ओर से 22 रुपए का अनुदान दिया जाता है। भोजन की निर्धारित मात्रा प्रति थाली 600 ग्राम है, लेकिन कई रसोइयों में पूरा भोजन नहीं दिया जा रहा है। नियमानुसार अन्नपूर्णा रसोइयों में पूरी साफ-सफाई होनी चाहिए और सम्मानजनक तरीके से खाना दिया जाना चाहिए। भोजन करने वाले हर व्यक्ति का फोटो खींचना होता है, ताकि उसी हिसाब से संचालक सरकार को रिपोर्ट भेजें और फिर अनुदान की राशि स्वीकृत हो। हर रसोई में भोजन का मेन्यू चार्ट लगाया होना चाहिए।

राशिफल मंगलवार 13 जनवरी, 2026

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र रात्रि 12:07 तक, शूल योग सायं 7:05 तक, विष्टि करण दिन 3:18 तक, चन्द्रमा सायं 5:21 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-तुला, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज कुमार योग रात्रि 12:07 तक है। भद्रा दिन 3:18 तक रहेगी। आज लोहड़ी उत्सव, भोगी (उ.भारत में) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:58 से 11:17 तक, लाभ-अमृत 11:17 से 1:54 तक, शुभ 3:12 से 4:31 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:49

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृष
परिजिनों/मित्रों से चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

कर्क
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजिनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

तुला
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।